



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

File No NCST/SER-1278/JH/1/2024-SSW

Dated:- 11.11.2024

सेवा में,

1. श्री उमा शंकर सिंह
सचिव,
स्कली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DoES&L),
एम.डी.ए भवन. भूमि तल.
रांची, (झारखंड) - 834001
(Email Id: hrdjharkhand@gmail.com)
(Tel. No: 0651-2400797)
2. श्री पीयूष पांडे
पलिस अधीक्षक (रांची ग्रामीण),
कलेक्टोरेट भवन. खंड - डी,
कमरा संख्या - 303.
रांची. (झारखंड) - 834001
(Tel. No: 0651-2400737)

विषय:- प्रधानध्यापक, राजकीय मध्य विद्यालय, उमेडंडा (बालक), रांची द्वारा अनुसूचित जनजाति के महिला कर्मचारी का कार्यस्थल पर उत्पीड़न और शोषण एवं धमकी देने के संबंध में - श्रीमती प्रभा मिंज, सहायक शिक्षक, राजकीय मध्य विद्यालय, उमेडंडा (बालक), थाना - बुडमू, जिला - रांची, झारखंड का दिनांक 05.12.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ:- NCST के समसंख्यक नोटिस दिनांक 22.04.2024

महोदय,


चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 18.11.2024 को 2:00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से सम्बंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/ दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय


(Dr. P. Kalyan Reddy)
Director
Tel:- 24641640

Copy to :-

श्रीमती प्रभा मिंज
शिमला कॉलोनी, काठीटाँड,
थाना - रातु, रांची(झारखंड)
(Mobile No: 8789723705)

(यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 18.11.2024 को 2:00 बजे आयोजित सिटिंग में, आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 में उपस्थित हो।)